



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर - 273009

पत्रांक : सम्बद्धता / 2020 / (28) 2144

दिनांक 15/07/2020

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

सरस्वती विद्या मन्दिर महाविद्यालय, आर्य नगर उत्तरी, गोरखपुर

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने विशेषण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनापत्ति आदेश सम्बन्धी पत्र में उल्लिखित कमियों/शर्तों का नियकरण/पूर्ति, महाविद्यालय द्वारा एक माह के अंदर कर लिया जायेगा, के शर्त के अधीन दिनांक 01.07.2020 से आगामी दो वर्ष हेतु याचित विषयों में कमियों को पूर्ण करने की शर्त पर अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, अव्यया की स्थिति में जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर सरस्वती विद्या मन्दिर महाविद्यालय, आर्य नगर उत्तरी, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता द्वारा इंगित कमियों यथा— निरीक्षण मण्डल की आख्या के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई— याचित विषयों में शिक्षक अनुमोदन वांछित है, अद्यतन परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण पत्र वांछित है, अद्यतन सी०१० रिपोर्ट वांछित है।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर-2—2003-16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर- 2-2007-2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर-2—2008— 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859 / 2012 में परित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522 / सत्तर-2—2013-2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कठितप्रय संस्थानों/महाविद्यालय को संशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना के विश्वविद्यालय को संस्थान सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली की वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए०आ०१०ए०च००१० 2018-19 एवं 2019-20 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. महाविद्यालय ए०सी०टी०१०१० द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

पृष्ठाकांन संख्या: दीउगोविवि/सम्बद्धता/2020 / तददिनांक /

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (3). अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०३० गो०विं०वि, गोरखपुर। (4). उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय। (5). सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।